

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :-	कालिया खो जलाशय योजना 19.50 हैक्टर
सर्वे नं. :-	718 / 1 / 1,718 / 2,1024 / 2
क्षेत्रफल :-	20.00 हैक्टर
ग्राम.व.स. :-	हांसपुर
बीट :-	हांसपुर
योजना अवधि :-	2025-2026 से 2035-2036
वनमण्डल का नाम :-	सामान्य वनमण्डल नीमच

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 01

सामान्य विवरण

01:- परियोजना का विवरण -

(अ) परियोजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हांसपुर 20.00 हैक्टर
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	:-	कालिया खो जलाशय परियोजना के बदले
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	:-	क्रमांक दिनांक
01. जिला	:-	परिक्षेत्र रामपुरा की 19.50 हैक्टेयर वनभूमि
02. वनमण्डल	:-	नीमच
03. परिक्षेत्र	:-	सामान्य वन मण्डल नीमच
04. तहसील	:-	मनासा
05. विकासखण्ड	:-	मनासा
06. विधानसभा क्षेत्र	:-	मनासा
07. ग्राम पंचायत	:-	हांसपुर
08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	मनासा
09. क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:-	हांसपुर

02. स्थल विशेष जानकारी :-

01. ग्राम वन समिति का नाम	:-	हांसपुर (प्रस्तावित)
02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र./राजस्व क्षेत्र	:-	हांसपुर 718/1/1,718/2,1024/2
03. राजस्व क्षेत्र/कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	20.00 हैक्टेयर
04. कार्यवृत्त	:-	निरंक
05. उपचार श्रेणी/पातन	:-	निरंक
06. उपचार इकाई/कूप क्र. एवं ड्यू वर्ष	:-	निरंक
07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	10 कि.मी.
08. कक्ष में पूर्व में कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:-	निरंक
09. प्रस्तावित स्थल का पूर्व में किये गये वृक्षारोपण जानकारी :-		
ए. योजना	:-	निरंक
बी. वर्ष	:-	निरंक
सी. क्षेत्रफल	:-	निरंक
डी. प्रजाति	:-	निरंक
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण	:-	निरंक
एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	निरंक
10. गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति (प्रस्तावित)
11. समिति का मुख्यालय	:-	हांसपुर (प्रस्तावित)
12. समिति में सम्मिलित गाँव	:-	हांसपुर (प्रस्तावित)
13. समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	समिति गठन शेष, गठन के पश्चात अध्यक्ष का चुनाव होगा।
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	:-	श्री महेश पाटीदार (वनरक्षक)
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री केलाशचन्द्र वर्मा (वनपाल)

16. समिति के सदस्यों की जानकारी :-

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (भौगोलिक रचना) :-

(ए) टोपोग्राफी	:-	समतल
(बी) एस्पेक्ट	:-	उत्तरी - दक्षिण
(सी) ढलान	:-	0-10 डिग्री
(अ) पानी निकासी	:-	मध्यम
(ब) भूक्षरण	:-	मध्यम
(डी) चट्टानों का विवरण	:-	पथरीला कठोर चट्टान
(इ) मिट्टी का प्रकार	:-	कडक मुरमी
(एफ) औसत वार्षिक वर्षा	:-	500 से 900 मिलीमीटर
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	30 प्रतिशत
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	70 प्रतिशत
(आई) पथरीली मिट्टी	:-	000 प्रतिशत

04. वन क्षेत्र का विवरण :-

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज :- मिश्रीत

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
निरंक	निरंक	निरंक

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व :- 0.2
(सी) पूर्ण वनवर्धन :- निरंक

टुँठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई							
	20 से.मी. तक की आड़ी-तेड़ी पौध	21 से 30 से.मी.	31 से 30 से.मी.	31 से 45 से.मी.	46 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.	91 से 120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
योग :-	—	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आंशिक वनवर्धन का क्षेत्र :- निरंक
(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- निरंक
(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेंटाना) :- निरंक
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- 20.00 हैक्टर
(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- निरंक
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र :- निरंक
(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला :- निरंक
(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है :- निरंक
(कार्य अयोग्य)
(एल) जैविक दबाव :- अधिक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	औसत	—
चराई	अत्यधिक	—	—
मानव	—	औसत	—

06. योजना का उद्देश्य :- कालिया खाँ जलाशय में वनभूमि व्यपवर्तन के बदले में वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्षेत्रफल	:-	20.00 हैक्टेयर
07. उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैंक का क्षेत्र	:-	निरंक
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:-	20.00 हैक्टेयर
भू-जल संरक्षण का क्षेत्र	:-	0.000 हैक्टेयर
अन्य	:-	000 हैक्टेयर
08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे	:-	अनुसंधान विस्तार वृत्त की रोपणीया ।
09. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी	:-	
(अ) ट्रक/टेक्टर द्वारा	:-	60 से 200 से अधिक कि.मी
(ब) सिर बोझ द्वारा	:-	1.00 कि.मी.
10. सिंचाई का विवरण		
(अ) जल स्रोत	:-	पानी टैंकर द्वारा
(ब) वृक्षारोपण से दुरी	:-	500 मी0 से 01 कि.मी.
(स) सिंचाई से दुरी	:-	500 मी0 से 02 कि.मी
(द) बिजली उपलब्धता	:-	नहीं
11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या	:-	सिंधे बीज बुवाई ।
(अ) प्रति हैक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:-	निरंक
(ब) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से.मी. से अधिक)	:-	निरंक
(स) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 से.मी. से अधिक)	:-	निरंक
(द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:-	5000
कुल	:-	5000 (1000.00 हैक्टेयर)

05.00 हैक्टर हेतु कुल पौधों की संख्या 5000

12. योजना की अवधि	:-	11 वर्ष
13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय	:-	6745000.00
(बी) प्रति हैक्टर व्यय	:-	337250.00
14. अन्य विवरण :- उपरोक्त क्षेत्र में पशु अवरोधक खंती का निर्माण कर क्षेत्र घेराव किया जावेगा। क्षेत्र में पौधा रोपण के साथ साथ भूजल संरक्षण कार्य कन्दुर ट्रेंच, डबरा डबरी निर्माण आदी कार्य किये जाकर बीज बुवाई कार्य किया जावेगा।		


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी का नाम

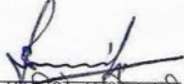
- (1) श्री महेश पाटीदार वनरक्षक बीट प्रभारी हांसपुर
- (2) श्री कैलाशचन्द्र वर्मा वनपाल परिक्षेत्र सहायक मनासा
- (3) श्री शाश्वत द्विवेदी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
चिरोल	1500	01 से 02 वर्ष	न्यूनतम 60 से.मी.	2 से 5 से.मी.
सिस्सु	1500	01 से 02 वर्ष	न्यूनतम 60 से.मी.	2 से 5 से.मी.
नीम	1000	01 से 02 वर्ष	न्यूनतम 60 से.मी.	2 से 5 से.मी.
फलदार	500	01 से 02 वर्ष	न्यूनतम 60 से.मी.	2 से 5 से.मी.
अन्य विलुप्त प्रजातिया	500	01 से 02 वर्ष	न्यूनतम 60 से.मी.	2 से 5 से.मी.
योग-	5000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- कन्दुर ट्रेंच एवं तलाई निर्माण आदी
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- क्षेत्र की सुरक्षा पशु अवरोध खंती निर्माण द्वारा की जावेगी। साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिक के माध्यम से करवाई जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- निरंक
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी कार्य किया जायेगा एवं रोपण उपरांत द्वितीय, तृतीय वर्ष में तीन निंदाई कार्य एवं चतुर्थ एवं चतुर्थ ,पंचम वर्ष तक 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- क्षेत्र में 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन निर्देशानुसार समय समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कराया जावेगा।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधों स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रस्तावना

कालीया खों जलाशय मे वन परिक्षेत्र रामपुरा के वनखण्ड मेनपिछेर की 19.50 वनभूमि प्रभावित होने के बदले श्रीमान न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 16/अ-20/3/2020-21 पृष्ठ क्रमांक 495/आर. टी.सी./2020 आदेश दिनांक 05.11.2020 से ग्राम हांसपुर में वेकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 20.00 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। । क्षेत्र में सुरक्षा हेतु पशु अवरोध खंती का निर्माण कर सुरक्षा प्रदान करके कार्य किया जावेगा क्षेत्र में गड्डे खुदाई,कन्टूर ट्रेंच, डबरा डबरी निर्माण कर विभिन्न मिश्रित प्रजाति के जैसे चिरोल , सिस्सु , नीम ,फलदार आदि प्रजाति के पौधा रोपण एवं बीज बुवाई किया जावेगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत 11 वर्षीय प्रोजेक्ट में पौधों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही घांस उपलब्ध हो जावेगी।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

- (1) श्री महेश पाटीदार वनरक्षक बीट प्रभारी हांसपुर
- (2) श्री केलाशचन्द्र वर्मा वनपाल परिक्षेत्र सहायक मनासा
- (3) श्री शाशवत द्विवेदी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम हांसपुर में कालियाखो जलाशय परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम हांसपुर में मिली राजस्व भूमि सर्वे नम्बर 718/1/1,718/2,1024/2 रकबा 20.00 हेक्टेयर में भुजल संरक्षण एवं बीजारोपण हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्र का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को किया गया। उक्त क्षेत्र के लिये साईड स्पेसिकफक योजना में वर्णित कार्य मौके की आवश्यकता के अनुरूप है।

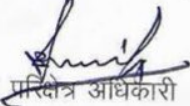
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल कार्यालय

च
श
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक ...02/02/24... एवं उप वनमण्डल अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक ...02/02/24 को किया गया। वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं। एवं खेदे जाने वाले गड्डों में मिलाने के लिये उपजाऊ मिट्टी तथा गोबर खाद क्रय किया जाना आवश्यक है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

भाग-2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा निरीक्षण दिनांक 02/02/24 को किया गया है एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण एवं भुजल संरक्षण कार्यो के योग्य है। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


~~उपवनमण्डलाधिकारी~~
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी कह गई।

वनसंरक्षक

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम हांसपुर में कालिया खो जलाशय परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के स्थान पर प्राप्त राजस्व भूमि का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को किया गया। प्राप्त भूमि पर सुरक्षा हेतु पशु अवरोधक खंती लगाकर किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र में 5000 पौधों का रोपण किया जावेगा, साथ ही कन्दुर ट्रेंच, डबरा डबरी एवं तलाई निर्माण किया जाकर भुजल संरक्षण के कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

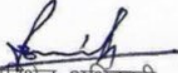

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र में लेन्टाना/खतपतवार ग्रसित क्षेत्र का शत प्रतिशत सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 एवं उप वनमण्डल अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को किया गया।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डल अधिकारी
सा.वनमण्डल नीमच

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 20 हेक्टेयर)

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष) 2025-26

- 1- वनमंडल का नाम - नीमच (सा0)
- 2- परिक्षेत्र का नाम - मनासा
- 3- खसरा सर्वे नम्बर - 718 / 1 / 1,718 / 2,1024 / 2
- 4- कालिया खों जलाशय परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले प्राप्त भूमि 20.00 है. में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य

- 5- कालिया खों जलाशय परियोजना के बदले 20 है.
- 6- बीट हांसपुर
- 7- प.स. वृत्त मनासा
- 8- दर प्रति मा.दि.

414

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्र.	कार्य का विवरण	रकबा		20		हेक्टेयर	रिमांक
		मात्रा	इकाई	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	मानव दिवस		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	20	ha	0.45	प्रति हे0	9	3726
2	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	20	ha	1.00		20	8280
3	क्षेत्र घेराव						
	पशु अवरोधक खंती निर्माण कार्य मजदुरों द्वारा 1.50x0.90x0.75 mtr	2070	rmt	0.6	Rmt	1242	514188
	पशु अवरोधक खंती निर्माण कार्य मशीनरी द्वारा 1.50x0.90x0.75 = 01 cmt	680	cmt	103	cmt	169	70040
4	गड्डे खुदाई कार्य						
	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	5000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	13	5175
	रोपण हेतु गड्डा खुदाई (संख्या 2000 जे.सी.बी.मशीन से) 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X2000=432 cmt	432	घ0मी0	103	प्रति घ0मी0	93	44496
	रोपण हेतु गड्डा खुदाई मजदुरों द्वारा साईज 0.60x0.60x0.60 m 3000 pits	3000	गड्डे	10	प्रति सेकडा	300	124200
5	उपजाऊ मिट्टी संग्रहण परिवहन सहित हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X5000=1080rmt X30/100=324 cmt	324	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	486.00	201204
6	गड्डों में डालने हेतु गोबरखाद संग्रहण परिवहन सहित आयतन का 15 प्रतिशत 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X5000=1080 rmt X15/100=162 cmt	162	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	486	201204
7	वर्गों कम्पोस्ट खाद क्रय (0.250*5000=1250Kg.)	1250	कै.जी.	L.S.	प्रति किलो	12	15000
8	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	5000	गड्डे	1.5	प्रति गड्डा	75	31050
9	घास के बंड बनाना (10X1 मीटर बंड में 15 से.मी. की गहराई तक मिट्टी खोदना)	1000	Per Bed	0.4	Per Bed	400	165600
10	गट निर्माण फिटिंग कार्य सहित	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	18000
11	निरीक्षण पथ	3	km	20	per MD	60	24840
12	लेजर हट	1	No.	L.S.	L.S.	L.S.	20000
13	अन्य व्यय (बोर्ड , चुना पैट, दिमक रोधी दवाई ,आदि)	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	52997
	योग					3623	1500000
14	भू-जल संरक्षण कार्य						
I	कन्ट्र ट्रेच लेआउट साईज (0.45X0.45X3 M)	1000	प्रति नग	0.15	प्रति सेकडा	1.50	621
II	कन्ट्र ट्रेच खुदाई (0.45X0.45X3 M)	1000	प्रति नग	0.33	प्रति नग	330.00	136620
15	परकोलेशन टेक निर्माण 04 नग	4	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	125000
16	डबरा डबरी निर्माण 40 नग	400	cmt	0.6	Rmt	240	99360
17	अनुश्रवण, समिति जागरूकता, अन्य व्यय		L.S.			44.88	18399
	योग					918	380000
	महायोग					4541	1880000

उप वनमंडल अधिकारी
उप वनमंडल मनासा

वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का द्वितीय वर्ष 2026-27 (दर मा.दि.)

439

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी कार्य खुदाई किये गये स्थल पर सघन वृक्षारोपण एवं खांदे गये गड़डों में रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या A-Grade	5000	पौधे	-	20/प्रति पौधा	248.14	100000
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत	500	पौधे	-	20/प्रति पौधा	24.81	10000
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा अ.वि.वृ. हर्कियाखाल से दूरी 51 से 60 कि.मी	5500	पौधे	3.7	प्रति पौधा	46	20350
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5000	पौधे	0.4	सैकड़ा	20	8780
3	पौधा रोपण कार्य	5000	गड़डे	2	सैकड़ा	100	43900
4	प्रथम निंदाई पौधों में	5000	पौधे	1.25	सैकड़ा	62.5	27438
5	द्वितीय निंदाई पौधों में	5000	पौधे	1	सैकड़ा	50	21950
6	तृतीय निंदाई पौधों में	5000	पौधे	1	सैकड़ा	50	21950
7	बीज संग्रहण कार्य घास एवं अन्य प्रजाति	360	कि.ग्रा.	150	प्रति कि.ग्रा.	126	55130
8	घास बेड में बीज बुवाई	1000	बेड	0.07	प्रति बेड	70	30730
9	कन्दुर ट्रेच पर बीज बुवाई	1000	र.मी	0.0025	प्रति र.मी	3	1098
10	डबरा डबरी पर बीज बुवाई	900	र.मी	0.0025	प्रति र.मी	2	988
11	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	5000	पौधे	0.5	प्रति सैकड़ा	25	10975
12	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	4	km	3.35	किमी	13	5883
13	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			316	138724
14	उपलब्धता अनुसार सिंचाई सिंचाई कार्य टैंकर एवं श्रमिकों द्वारा	560	Tanker	800	L.S.	1021	448000
15	अन्य व्यय (सीपीडब्ल्यू पर मिटटी डलवाई, लेन्टाना हटाना, कीटनाशक खाद	L.S.	L.S.	-	-	32	14105
योग:-						2187	960000

वन विभाग
वन विभाग
वन विभाग

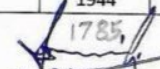
वन विभाग
वन विभाग
वन विभाग

योजना का तृतीय वर्ष 2027-28 (दर मा.दि.)

465

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	550	पौधे	-	20/प्रति पौधा	24	11000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	550	पौधे	2.7	प्रति पौधा	3	1485
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	550		0.4	सैकड़ा	2	1023
3	पौधा रोपण कार्य	500	गड़डे	2	सैकड़ा	10	4650
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	5000	गड़डे	1.25	सैकड़ा	63	29063
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	5000	गड़डे	1	सैकड़ा	50	23250
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	5000	गड़डे	1	सैकड़ा	50	23250
7	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई	5000	गड़डे	0.6	सैकड़ा	30	13950
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	4	km	3.35	किमी	13	6231
9	फेंसींग मरम्मत कार्य	400	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	64	29760
10	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	145080
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
	सिंचाई कार्य टेंकर एवं श्रमिकों द्वारा	500	Tanker	1000	L.S.	1075	500000
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय, आदी)					89	41258
योग:-						1944	830000


उपवनमंडलाधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


1785
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का चतुर्थ वर्ष

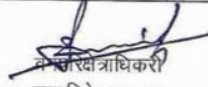
2028-29

(दर मा.दि.)

493

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	550	पौधे	-	20 / प्रति पौधा	22.31	11000
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	550	पौधे	2.7	प्रति पौधा	3.01	1485
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	550	पौधे	0.4	सैकड़ा	2.20	1085
4	प्रथम निदाई						
	पौधों में	5000	पौधे	1.25	सैकड़ा	63	30813
5	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	5000	पौधे	1	सैकड़ा	50	24650
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	5000	पौधे	0.6	सैकड़ा	30	14790
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	4	km	3.35	किमी	13	6606
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	प्रति माह	26	12818
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
	सिंचाई कार्य टेंकर एवं श्रमिकों द्वारा	500	Tanker	1000	L.S.	1014	500000
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय आदी)					54	26754
	योग:-					1278	630000


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


मेजर वनमण्डलाधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	खंती मरम्मत कार्य (मीटर)	700	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	112	58576
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	5000	पौधा	1.25	100	63	32688
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	5000	पौधा	1	100	50	26150
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	5000	पौधा	0.6	सैकड़ा	30	15690
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	4	km	3.35	किमी	13	7008
6	फेंसींग मरम्मत कार्य	500	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	80	41840
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	163176
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
	सिंचाई कार्य टैंकर एवं श्रमिकों द्वारा	500	Tanker	1000	L.S.	956	500000
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					67	34872
	योग:-					1683	880000


 उप वनमण्डलाधिकारी
 उप वनमण्डल मनासा


 वनपरिक्षेत्राधिकारी
 वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का षष्ठम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि.)

554

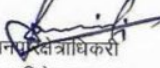
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	7424
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	172848
3	अन्य व्यय					36	19728
योग:-						361	200000

योजना का सप्तम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि.)

587

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	7866
2	खेती मरम्मत कार्य (मीटर)	700	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	112	65744
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	183144
4	अन्य व्यय					6	3246
योग:-						443	260000


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का अष्टम वर्ष 2032-33 (दर मा.दि.)

622

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	8335
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	194064
3	अन्य व्यय					12	7601
	योग:-					338	210000

योजना का नवम वर्ष 2033-34 (दर मा.दि.)

659

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	8831
2	खंती मरम्मत कार्य (मीटर)	1000	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	160	105440
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	205608
4	अन्य व्यय					8	5121
	योग:-					493	325000

योजना का दसम वर्ष 2034-35 (दर मा.दि.)

699

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	9367
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	218088
3	अन्य व्यय					4	2545
	योग:-					329	230000

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035-36 (दर मा.दि.)

741

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	4	km	3.35	किमी	13	9929
2	खंती मरम्मत कार्य (मीटर)	800	र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	128	94848
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	231192
4	अन्य व्यय					5	4031
	योग:-					459	340000

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

गोशवारा, आदर्श रोपण
कक्ष क्रमांक पी466 रकबा 20 हे०

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि
प्रथम	4541	1880000
द्वितीय	2187	960000
तृतीय	1944	830000
चतुर्थ	1278	630000
पंचम	1683	880000
षष्ठम	361	200000
सप्तम	443	260000
अष्टम	338	210000
नवम	493	325000
दशम	329	230000
ग्यारवा	459	340000
कुल योग	14055	6745000


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

COMPT NO.-U-466, RANGE-MANASA, BLOCK-HANSPUR, AREA Ha.-31.47

NEEMUCH FOREST DIVISION



1:12,500

COMPARTMENT MAP

LEGEND	
MUNARA	●
RF	○
PF	○
UF	○
DIVISION BOUNDARY	—
RANGE BOUNDARY	- - -
BLOCK	□
COMPARTMENT	□
CART TRACK	—
ROAD METALLED	—
RIVER	—
VILLAGE	—

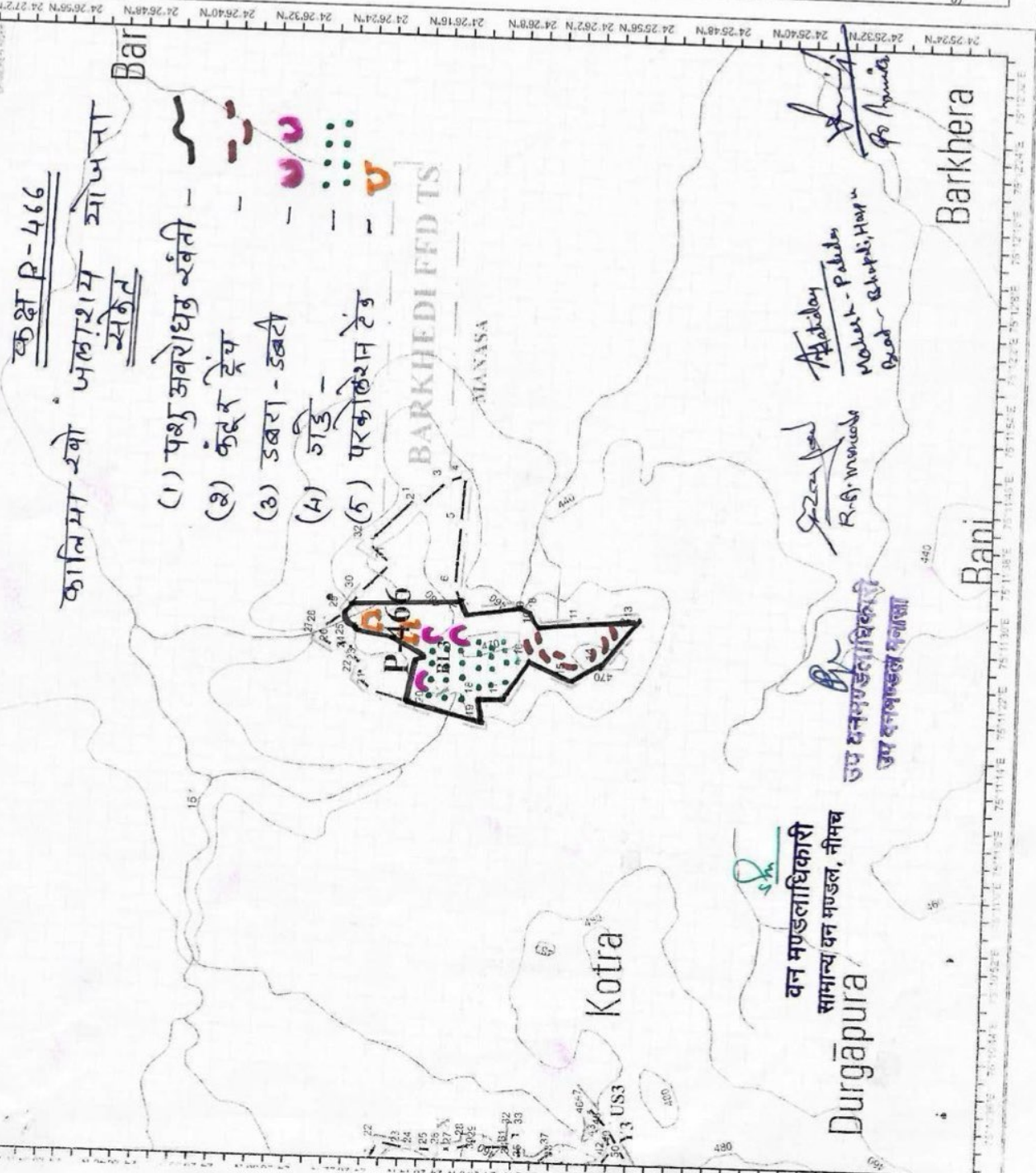
(M.R.BAGHEL)

I.F.S.

CONSERVATOR OF FOREST
WORKING PLAN UJJAIN

Scale-1cm=125m

0 125 250 500 750 1,000
Meters



2017

$$\frac{2642}{13}$$


उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीम

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :-	कालिया खो जलाशय योजना 22.76 हैक्टर
कक्ष क्रमांक :-	320
क्षेत्रफल :-	36.00 हैक्टर
ग्राम.व.स. :-	श्योपुरिया
बीट :-	श्योपुरिया
योजना अवधि :-	2025-2026 से 2035-2036
वनमण्डल का नाम :-	सामान्य वनमण्डल नीमच

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 01

सामान्य विवरण

01:- परियोजना का विवरण -

(अ) परियोजना का नाम	:-	क्षतिपुर्ति वृक्षारोपण हांसपुर 22.76 हैक्टर
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	:-	कालिया खो जलाशय परियोजना के बदले दोगुना क्षेत्र में
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण
01. जिला	:-	क्रमांक दिनांक
02. वनमण्डल	:-	परिक्षेत्र रामपुरा की 22.76 हैक्टेयर वनभूमि
03. परिक्षेत्र	:-	नीमच
04. तहसील	:-	सामान्य वन मण्डल नीमच
05. विकासखण्ड	:-	मनासा
06. विधानसभा क्षेत्र	:-	मनासा
07. ग्राम पंचायत	:-	मनासा
08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	टामोटी
09. क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:-	टामोटी
	:-	श्योपुरिया

02. स्थल विशेष जानकारी :-

01. ग्राम वन समिति का नाम	:-	श्योपुरिया
02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र./राजस्व क्षेत्र	:-	कक्ष क्रमांक 320
03. राजस्व क्षेत्र/कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	253.36 हैक्टेयर (वन क्षेत्र)
04. कार्यवृत्त	:-	पुनर्स्थापना वृत्त
05. उपचार श्रेणी/पातन	:-	श्योपुरिया
06. उपचार इकाई/कूप क्र. एवं ड्यू वर्ष	:-	निरंक
07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	30 कि.मी.
08. कक्ष में पूर्व में कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:-	निरंक
09. प्रस्तावित स्थल का पूर्व में किये गये वृक्षारोपण जानकारी :-		
ए. योजना	:-	निरंक
बी. वर्ष	:-	निरंक
सी. क्षेत्रफल	:-	निरंक
डी. प्रजाति	:-	निरंक
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण	:-	निरंक
एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	निरंक
10. गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति
11. समिति का मुख्यालय	:-	श्योपुरिया
12. समिति में सम्मिलित गाँव	:-	श्योपुरिया
13. समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	नैनाबाई प्रहलाद
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	:-	श्री हरिसिंह चौहान (वनरक्षक)
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री जगदीश मकवाना (वनपाल)

04. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (भौगोलिक रचना) :-

(ए) टोपोग्राफी	:-	समतल
(बी) एस्पेक्ट	:-	उत्तरी - दक्षिण
(सी) ढलान	:-	0-10 डिग्री
(अ) पानी निकासी	:-	मध्यम
(व) भूक्षरण	:-	मध्यम

(डी) चट्टानों का विवरण	:-	सेडस्टेन, क्वार्टजाईट
(ई) मिट्टी का प्रकार	:-	लेटेराईट लाल, दुमट
(एफ) औसत वार्षिक वर्षा	:-	500 से 900 मिलीमीटर
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	30 प्रतिशत
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	70 प्रतिशत
(आई) पथरीली मिट्टी	:-	000 प्रतिशत

05. वन क्षेत्र का विवरण :-

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज :- मिश्रीत

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
निरंक	निरंक	निरंक

(वी) साईट क्वालिटी घनत्व :- 0.2
(सी) पूर्ण वनवर्धन :- निरंक

टुँठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई							
	20 से.मी. तक की आड़ी-तेड़ी पौध	21 से 30 से. मी.	31 से 30 से. मी.	31 से 45 से. मी.	46 से 60 से. मी.	61 से 90 से. मी.	91 से 120 से. मी.	120 से. मी. से ऊपर
योग :-	—	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आंशिक वनवर्धन का क्षेत्र :- निरंक
(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- निरंक
(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेटाना) :- निरंक
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- 46.00 हैक्टेयर
(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :- निरंक
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र :- निरंक
(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला :- निरंक
(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है :- निरंक
(कार्य अयोग्य)
(एल) जैविक दबाव :- अधिक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	औसत	—
चराई	अत्यधिक	—	—
मानव	—	औसत	—

06. योजना का उद्देश्य :- कालिया खो जलाशय में वनभूमि व्यपवर्तन के बदले दोगुना वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

क्षेत्रफल :- 36.00 हैक्टेयर

07. उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैंक का क्षेत्र :- निरंक
वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 36.00 हैक्टेयर

मू-जल संरक्षण का क्षेत्र	:-	0.000 हैक्टेयर
अन्य	:-	000 हैक्टेयर
08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे	:-	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रतलाम की रोपणियों से
09. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी	:-	
(अ) ट्रक/टेक्टर द्वारा	:-	51 से 200 से अधिक कि.मी
(ब) सिर बोझ द्वारा	:-	1.00 कि.मी.
10. सिंचाई का विवरण		
(अ) जल स्रोत	:-	पानी टैंकर द्वारा
(ब) वृक्षारोपण से दुरी	:-	500 मी0 से 02 कि.मी.
(स) सिंचाई से दुरी	:-	500 मी0 से 02 कि.मी
(द) बिजली उपलब्धता	:-	नहीं
11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या	:-	1000 प्रति हेक्टेयर
(अ) प्रति हेक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:-	निरंक
(ब) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से.मी. से अधिक)	:-	निरंक
(स) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 से.मी. से अधिक)	:-	निरंक
(द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:-	46000 पौधे
कुल	:-	36000 (36.00 हैक्टेयर)

36.00 हैक्टर हेतु कुल पौधों की संख्या 36000

12. योजना की अवधि :- 11 वर्ष
13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 12434119.00
- (बी) प्रति हैक्टर व्यय :- 345392.00
14. अन्य विवरण :- उपरोक्त क्षेत्र में 36000 गड्डे खेदे जावेगे। क्षेत्र कडक मिटटी का होने से गड्डे खुदाई कार्य जे.सी. वी. मशीन द्वारा किया जावेगा।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

- (1) श्री हरिसिंह चौहान वनरक्षक बीट प्रभारी श्योपुरिया
- (2) श्री जगदीश मकवाना वनपाल परिक्षेत्र सहायक टामोटी
- (3) श्री शाश्वत द्विवेदी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 36000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- कन्दुर ट्रेंच एवं तलाई निर्माण आदी
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा पत्थर की दिवाल निर्माण द्वारा की जावेगी। साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिक के माध्यम से करवाई जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- निरंक
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी कार्य किया जायेगा एवं रोपण उपरांत द्वितीय, तृतीय वर्ष में तीन निंदाई कार्य एवं चतुर्थ एवं चतुर्थ , पंचम वर्ष तक 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन निर्देशानुसार समय समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कराया जावेगा।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मन्त्रालय


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

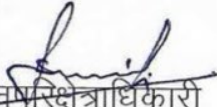
प्रस्तावना

कालीया खों जलाशय मे वन परिक्षेत्र रामपुरा के वनखण्ड मेनपिछेर की 22.76 वनभूमि प्रभावित होने के बदले श्रीमान न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला नीमच (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 16/अ-20/3/2020-21 पृष्ठ क्रमांक 495/आर.टी.सी./2020 आदेश दिनांक 05.11.2020 से ग्राम हांसपुर में भूमि आवंटित की गई। उपरोक्त भूमि रोपण अयोग्य होने से वेकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रभावित क्षेत्र के दोगुना क्षेत्र में कक्ष क्रमांक 320 रकबा 36.00 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा हेतु पत्थर की दिवाल निर्माण कर वृक्षारोपण क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करके कार्य किया जावेगा एवं उपरोक्त क्षेत्र में 36000 गड्डे खोदे जावेंगे। क्षेत्र कड़क मिट्टी का होने से गड्डे खुदाई कार्य जे. सी.बी. मशीन द्वारा किया जावेगा। वृक्षारोपण में विभिन्न प्रजातियों के 46000 पौधों का रोपण किया जावेगा। विभिन्न मिश्रित प्रजाति के जैसे चिरोल , सिस्सु , नीम ,रेमझा आदि प्रजाति के पौधे रोपित किये जायेगे। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत 11 वर्षीय प्रोजेक्ट में पौधा रोपण एवं उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है । जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही घांस उपलब्ध हो जावेगी।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम हांसपुर में कालिया खो जलाशय परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के स्थान पर प्राप्त राजस्व भूमि का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/2024 एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/2024 को किया गया। प्राप्त भूमि भू जल संरक्षण कार्य एवं रोपण अयोग्य होने से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 320 रकबा 36.00 हेक्टेयर में 1000 पौधा प्रति हे० के अनुसार रोपण किया जाना प्रस्तावित है। रोपण हेतु साईज 0.60X0.60X0.60cm के गड्डे खेदे जावेंगे। गड्डों में अर्धभराव हेतु उपजाऊ मिटटी एवं गोबर खाद संग्रहण कर परिवहन कराया जाना प्रस्तावित है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

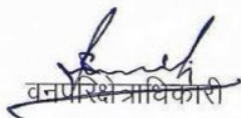

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी का नाम

- (1) श्री हरिसिंह चौहान वनरक्षक बीट प्रभारी श्योपुरिया
- (2) श्री जगदीश मकवाना वनपाल परिक्षेत्र सहायक टामोटी
- (3) श्री शाश्वत द्विवेदी वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा

प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कक्ष क्रमांक 320 प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार पुर्नस्थापना कार्यवृत्त के अंतर्गत वर्गीकृत है। प्रस्तावित कक्ष का कुल क्षेत्रफल 253.36 हैक्टेयर है। जिस मेंसे 36.00 हैक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्र का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 को एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 को किया गया। उक्त क्षेत्र के लिये साईड स्पेसिकफक योजना में वर्णित कार्य मौके की आवश्यकता के अनुरूप है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

भाग-2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा निरीक्षण दिनांक 03/02/24 को किया गया है एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण के योग्य है। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी कह गई।

वनसंरक्षक

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण चयनित क्षेत्र में लेन्टाना/खतपतवार ग्रसित क्षेत्र का शत प्रतिशत सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 एवं उप वनमण्डल अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 को किया गया।

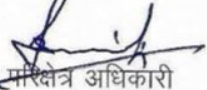

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डल अधिकारी
सा.वनमण्डल नीमच

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 एवं उप वनमण्डल अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 को किया गया। वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं। एवं खेदे जाने वाले गड्डों में मिलाने के लिये उपजाऊ मिट्टी तथा गोबर खाद क्रय किया जाना आवश्यक है।

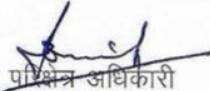

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24..... एवं उप वनमण्डल अधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/24 को किया गया। जिसके अनुसार वृक्षों की छत्र के निचे, स्थापित प्राकृतिक/कॉपिस पुनरोत्पादन के समीप एवं रोपण अयोग्य अन्य स्थानों पर पौधा रोपित किये बगैर क्षेत्र में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपित किये जा सकेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र मनासा


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा


वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 36 हेक्टेयर)

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष) 2025-26

- | | | | |
|--|--------------|---|------------|
| 1- वनमंडल का नाम | - नीमच (सा0) | 6- बीट | श्योपुरिया |
| 2- परिक्षेत्र का नाम | - मनासा | 7- प.स. वृत्त | टामोटी |
| 3- कक्ष क्रमांक | - 320 | 8- ग्राम वन समिति | श्योपुरिया |
| 4- वृक्षारोपण हेतु रकबा | - 36 हे0 | 9- प्रजाति - मिश्रित (चिरोल ,शिशु, नीम,रेमझा एवं अन्य) | |
| 5- कालिया खो जलाशय परियोजना में प्राप्त सर्वे नं 718/1/1, 718/2.1024/2 रकबा 20.00 हेक्टेर भूमि के बदले दोगुना भूमि पर रकबा 36 है.क्षेत्र में बेकल्पिक वृक्षारोपण | | 10- दर प्रति मा.दि | |

414

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा 36 हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	36	ha	0.45	प्रति हे0	16	6707
2	क्षेत्र साफाई कार्य	10	ha	4.00	प्रति हे0	40.00	16560
3	लेन्टाना उन्मुलन कार्य मध्यम	16	ha	12.50	प्रति हे0	200.00	82800
4	लेन्टाना उन्मुलन कार्य राधन	20	ha	22.00	प्रति हे0	440	182160
5	सीपी डब्ल्यू निर्माण (1.20x1.00x0.90 M)	2750	rmt	0.70	प्रति र.मी	1925.00	796950
6	सीपी डब्ल्यू निर्माण हेतु पत्थर परिवहन	2000	cmt	0.70	प्रति घ.मी	1400.00	579600
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	36000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	90	37260
8	रापण हेतु गड्ढा खुदाई 0.60x0.60x0.60 m. मजदुरों द्वारा	30000	गड्ढे	10	प्रति सेकडा	3000	1242000
9	रापण हेतु गड्ढा खुदाई (सख्या 6000 जे.सी.बी.मशीन से) 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X6000=1296 cmt	1296	घ0मी0	103	प्रति घ0मी0	322	133488
10	उपजाऊ मिट्टी संग्रहण परिवहन सहित हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X36000=7776 cmt X20/100=1555.20 cmt	1555	घ0मी0	1.06	प्रति घ0मी0	1648.30	682396
11	गड्ढों में डालने हेतु गोबरखाद संग्रहण परिवहन सहित आयतन का 10 प्रतिशत 0.60x0.60x0.60 m.=0.216/- cmt X36000=7776cmt X10/100 = 777.60cmt	777.6	घ0मी0	3.78	प्रति घ0मी0	2939	1216882
12	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	36000	गड्ढे	1.5	प्रति सेकडा	540	223560
	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय (0.100*36000=3600Kg.)	3600	किलो	12	प्रति किलो	120	43200
13	गट निर्माण फिटिंग कार्य सहित	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	15000
14	निरीक्षण पथ एवं पहुंच मार्ग	3	कि.मी.	20	प्रति कि.मी.	60	24840
15	लेबर हट	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	15000
16	अन्य व्यय (बोर्ड , चुना पेंट, दिमक रोधी दवाई , आदि)	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	3804
	योग					12882	533207
17	भू-जल संरक्षण कार्य						
I	कन्दुर ट्रेंच लेआउट साईज (0.45X0.45X3 M)	500	प्रति नग	0.15	प्रति सेकडा	0.75	361
II	कन्दुर ट्रेंच खुदाई साईज (0.45X0.45X3 M)	500	प्रति नग	0.33	प्रति नग	165.00	68310
18	परकोलेशन टैंक निर्माण	4	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	150000
19	अनुश्रवण, समिति जागरूकता, आदी अन्य व्यय		L.S.			48.97	20274
	योग					577	238945
	महायोग					13459	5571152

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल मनासा

वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का द्वितीय वर्ष 2026-27

दर मा.दि.

439

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य खुदाई किये गये स्थल पर सघन वृक्षारोपण एवं खोदे गये गड्डों में रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या A- Citade	36000	पौधे	-	20 / प्रति पौधा	1640.09	720000
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत	3600	पौधे	-	20 / प्रति पौधा	164.01	72000
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा अ.वि.वृ. रतलाम से दुरी 126 से 150 कि.मी	39600	पौधे	5.45	प्रति पौधा	0	215820
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	36000	पौधे	0.4	सैकड़ा	144	63216
3	पौधा रोपण कार्य	36000	गड्डे	2	सैकड़ा	720	316080
4	प्रथम निंदाई	36000	पौधे	1.25	सैकड़ा	450	197550
5	द्वितीय निंदाई	36000	पौधे	1	सैकड़ा	360	158040
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	36000	पौधे	0.5	प्रति सैकड़ा	180	79020
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	7353
9	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			216	94824
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
11	सिंचाई कार्य टैंकर एवं श्रमिकों द्वारा	520	Tanker	L.S.	L.S.	800	416000
12	अन्य व्यय (कीटनाशक एवं खाद क्रय आदी)	L.S.	L.S.	-	-	55	24000
						योग:- 5385	2363903

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का तृतीय वर्ष 2027-28

दर मा.दि.

465

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	3960	पौधे	-	20/प्रति पौधा	170.32	79200
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	3960	पौधे	5.45	प्रति पौधा	46.41	21582
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3600		0.4	सैकड़ा	14.4	6696
3	पौधा रोपण कार्य	3600	गड्डे	2	सैकड़ा	72	33480
4	प्रथम निंदाई						
4	पौधों में	36000	गड्डे	1.25	सैकड़ा	450	209250
	द्वितीय निंदाई						
5	पौधों में	36000	गड्डे	1	सैकड़ा	360	167400
6	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई	36000	गड्डे	0.5	सैकड़ा	180	83700
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	133920
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	7789
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
9	सिंचाई कार्य टेंकर एवं श्रमिकों द्वारा	450	Tanker	L.S.	L.S.	1000	450000
	अन्य व्यय (लेन्टाना हटाना, कीटनाशक खाद क्रय आदी)					182	34753
योग:-						2748	1277770

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडलाधिकारी

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3960	पौधे	-	25/प्रति पौधा	209.30	99000
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3960	पौधे	4.45	प्रति पौधा	38.90	17622
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3600	पौधे	0.4	सैकड़ा	14.40	7099
3	पौधा रोपण कार्य	3600	गड़डे	2	सैकड़ा	72	35496
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	36000	पौधे	1.25	सैकड़ा	450	221850
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	36000	पौधे	1	सैकड़ा	360	177480
	सी.पी.डब्ल्यू.मरम्मत कार्य	600	र.मी	0.14	प्रति र.मी	84	41412
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	36000	पौधे	0.5	सैकड़ा	180	88740
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	141984
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	8258
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई						
10	सिंचाई कार्य टैंकर एवं श्रमिकों द्वारा	450	Tanker	L.S.	L.S.	1000	450000
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					146	72190
योग:-						2375	1361131

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मन्त्रालय

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का पंचम वर्ष 2029-30

दर मा.दि.

523

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव	ईकाई		
1	प्रथम निदाई						
1	पौधों में	36000	पौधा	1.25	100	450	235350
2	खाद एवं कीटनाशक क्रय एवं डलवाई	36000	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	94140
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	150624
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
4	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	8760
5	अन्य व्यय					24	12426
	योग:-					959	501300

योजना का षष्ठम वर्ष 2030-31

दर मा.दि.

554

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	159552
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
2	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	9280
3	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य	800	र.मी	0.14	प्रति र.मी	112	62048
4	अन्य व्यय					23	12823
	योग:-					440	243703

योजना का सप्तम वर्ष 2031-32

2031-32

दर मा.दि.

587

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	169056
2	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य	600	र.मी	0.14	प्रति र.मी	84	49308
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
3	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य)	5	km	3.35	किमी	17	9832
4	अन्य व्यय					15	8889
	योग:-					404	237085

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल मनासा

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

योजना का अष्टम वर्ष 2032-33

दर मा.दि. 622

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	179136
2	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	5	km	3.35	किमी	17	10419
3	अन्य व्यय					1	622
	योग:-					306	190177

योजना का नवम वर्ष 2033-34

दर मा.दि. 659

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	189792
2	सी.पी.डब्ल्यू. मरम्मत कार्य	500	र.मी	0.14	प्रति र.मी	70	46130
3	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	5	km	3.35	किमी	17	11038
4	अन्य व्यय					1	659
	योग:-					376	247619

योजना का दशम वर्ष 2034-35

दर मा.दि. 699

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	201312
2	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	5	km	3.35	किमी	17	11708
3	अन्य व्यय					1	699
	योग:-					306	213719

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035-36

दर मा.दि. 741

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	24	मा.दि	288	213408
2	3 मीटर चौड़ी (घास छिलाई कार्य) तथा निरीक्षण पथ दुरस्ती कार्य	5	km	3.35	किमी	17	12412
3	अन्य व्यय					1	741
	योग:-					306	226561

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल वनकसा

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा

गोशवारा, आदर्श रोपण
कक्ष क्रमांक 320 रकबा 36.00 हे०

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि
प्रथम	13457	5571152
द्वितीय	5385	2363903
तृतीय	2748	1277770
चतुर्थ	2375	1361131
पंचम	959	501300
षष्ठम	440	243703
सप्तम	404	237085
अष्टम	306	190177
नवम	376	247619
दशम	306	213719
ग्यारवा	306	226561
कुल योग	27060	12434119


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

योजना का नाम - वैकल्पिक वृक्षारोपण (कान्ति) खा पलाशपुर के बंदल)

योजना वर्ष - 2025-2026

कम कांक - 320

वीड - शोपुरिया

प.स.ह.व - लामेही

का.वन समिती - शोपुरिया

रकबा - 3.6 हेक्टर

75°18'20"E

75°18'45"E

75°19'0"E

75°19'30"E

75°20'0"E

75°20'30"E

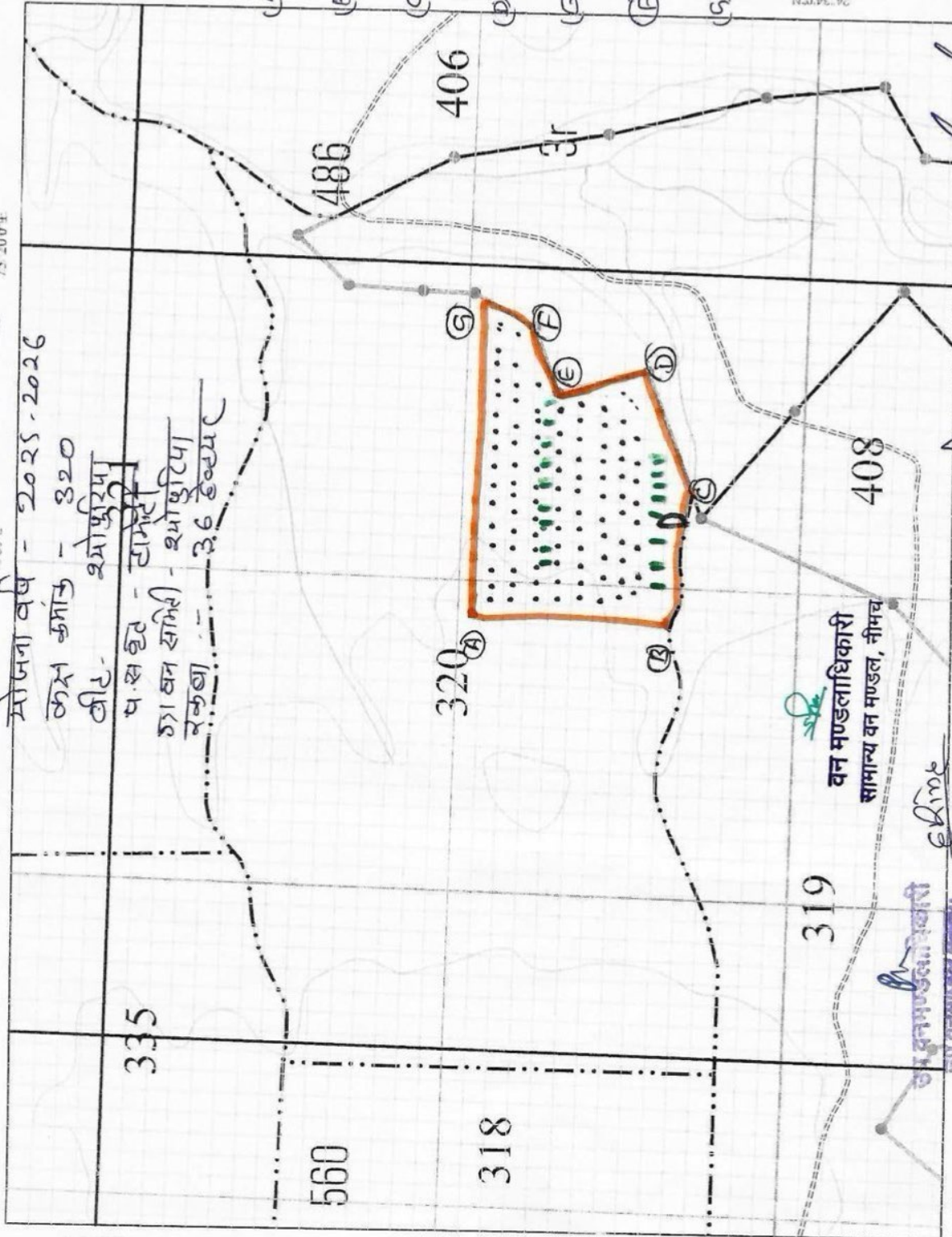
75°21'0"E

75°21'30"E

75°22'0"E

75°22'30"E

75°23'0"E



NEEMUCH DIVISION

CMPT NO.: 320

G.P.S

- (A) 24 34 28.54 N
75 19 26.93 E
- (B) 24 34 11.06 N
75 19 26.89 E
- (C) 24 34 09.62 N
75 19 38.39 E
- (D) 24 34 14.03 N
75 19 50.52 E
- (E) 24 34 21.87 N
75 19 48.16 E
- (F) 24 34 24.32 N
75 19 54.51 E
- (G) 24 34 28.29 N
75 19 56.33 E

- CPW दिवाल निर्माण
- खोले खुदर (गड्डे)
- कट्टर लैच
- परकोलेखन डेक

अंगदीपि
प.स.दीपरी

अंगदीपि
प.स.दीपरी

अंगदीपि
प.स.दीपरी

अंगदीपि
प.स.दीपरी

अंगदीपि
प.स.दीपरी

मौजवा का नाम :- ज्वालामुखी बालाब परियोजना के बाले ब्यसरोपण

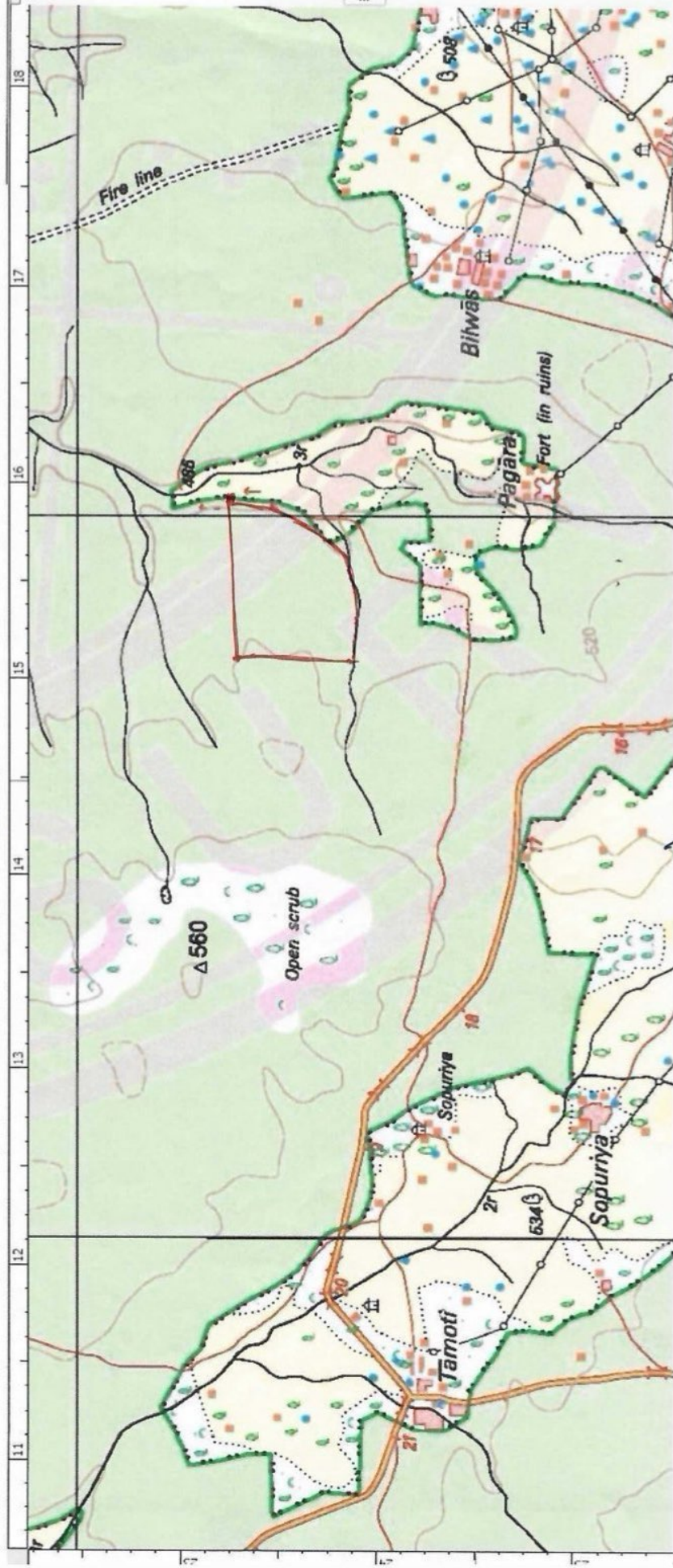
प्रोजेक्ट वर्ष :- 2025-26

कल कमाऊ :- 320

रकबा :- 36 Hec

बीट :- शोपुरिया

बी.बी.सी :- शोपुरिया



[Signature]
P. New SA,

[Signature]
उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

स्मार्क :-
प्रशासित स्थल

[Signature]
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

कार्यालय वनपरिक्षेत्र – रामपुरा

योजना अवधि :- 2025-26 से 2035-36

योजना का नाम – कालिया खो जलाशय



मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण :- कालिया खो जलाशय योजना वन भूमि व्यपवर्तन
2. (अ) परियोजना का नाम :- कालिया खो जलाशय योजना
3. जिला :- नीमच
4. वनमण्डल :- नीमच
5. परिक्षेत्र :- रामपुरा
6. तहसील :- रामपुरा
7. विकासखण्ड :- मनासा
8. विधानसभा क्षेत्र :- मनासा
9. ग्राम पंचायत :- ढोढ़र ब्लाक
10. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :- कुकडेश्वर
11. क्षेत्रीय परिसर (बीट) :- कुकडेश्वर

स्थल विशेष जानकारी :-

1. ग्राम वन समिति :- हामाखेड़ी
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि सर्वे नम्बर 497 / 2 (S), 498
3. सर्वे नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हैक्ट.) :- 2.76 हैक्ट.
4. कार्य वृत्त :- निरंक
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी :- निरंक
6. उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष :- —
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी :- 16 कि.मी.
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी :- निरंक
9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण
 - ए. योजना :- निरंक
 - बी. वर्ष :- निरंक
 - सी. क्षेत्रफल :- निरंक
 - डी. प्रजाति :- निरंक
 - ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण :- —
 - एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :-
10. गठित समिति का प्रकार :- ग्राम वन समिति
11. समिति का मुख्यालय :- कुकडेश्वर
12. समिति में सम्मिलित गांव :- हामाखेड़ी,
13. समिति अध्यक्ष का नाम :- श्री कन्हैयालाल
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम :- श्री शैलेश शर्मा वनरक्षक
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम :- श्री कैलाश राठौर प.स. कुकडेश्वर
16. समिति सदस्यों की जानकारी :- 621

क्षेत्रफल :- 2.76 हैक्टर

उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण :-

कट वैक का क्षेत्र	:-	निरंक
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:-	निरंक
भूसंरक्षण कार्य का क्षेत्र	:-	सीटी, सीसीटी
लेण्टाना	:-	-

रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे - निरंक

रोपणी से रोपण स्थल की दूरी -

(ए) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:-	निरंक
(बी) सिरयोज्ञ द्वारा	:-	निरंक
सिंचाई का विवरण :-		निरंक
ए. जल स्रोत	:-	निरंक
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:-	निरंक
सी. सिंचाई प्रकार	:-	निरंक

डी. बिजली उपलब्धता :- अनुपलब्ध

प्रति हैक्टर पौधों की संख्या -

ए. प्रति हैक्टर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:-	निरंक
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 सेमी. से अधिक)	:-	निरंक
सी. क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 सेमी. गोलाई से कम)	:-	निरंक
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या		निरंक

(न्यूनतम 1000 पौध प्रति हैक्टर)

कुल

निरंक

योजना की अवधि -

1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 2539532.00
2. प्रति हैक्टर व्यय :- 920120.00

अन्य विवरण

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी का नाम

- (1) श्री शैलेश शर्मा वनरक्षक
- (2) श्री कैलाश राठौर कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक कुकडेश्वर
- (3) श्री भानुप्रतापसिंह सौलंकी वनपरिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा

प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालिया खो जलाशय योजना के बदले प्राप्त भूमि पर 2.76 हैक्टर में वर्ष 2025-26 क्षेत्र उपचार हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्र का निरीक्षण वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा द्वारा दिनांक 20/1/24 को एवं उप वनमंडलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 10/02/24 को किया गया है।

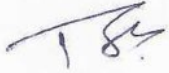
वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल मनासा

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल नीमच

भाग -2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20/01/24 को किया गया है उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.24 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण के योग्य हैं। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा



उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा



वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

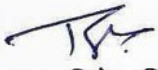
अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी की गयी।

वनसंरक्षक

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित स्थल हेतु चयनित क्षेत्र में लेण्टाना/खरपतवार ग्रसित क्षेत्र का शत प्रतिशत सत्यापन वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 20/11/24 एवं उपवनमंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 01/02/25 को किया गया है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र रामपुरा



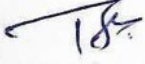
उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल मनासा



वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल नीमच

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 22/1/24 एवं उपवनमंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 19/02/24 को किया गया है। चयनित क्षेत्र भूजल संरक्षण कार्य हेतु उपयुक्त है, एवं यह कि यहां गोबर खाद एवं मिट्टी क्रय की आवश्यक नहीं है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र रामपुरा



उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल मनासा



वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल नीमच

वृक्षारोपण की दृष्टि से भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालिया खो जलाशय योजना में वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप ग्राम दांता एवं भागल में स्थित सर्वे नम्बर भूमि सर्वे नंबर 497/2 (S) रकबा 5.0500 हैक्टर में से 2.20 हैक्टर एवं सर्वे नम्बर 498 रकबा 10.460 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर कुल 2.76 में भूजल संरक्षण कार्य हेतु उक्त भूमि भूजल संरक्षण कार्य की दृष्टि से उपयुक्त है।



हस्ताक्षर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा



हस्ताक्षर
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल मनासा



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रबंधन की दृष्टि से भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कालिया खो जलाशय में वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप ग्राम दांता एवं भागल में स्थित सर्वे नम्बर भूमि सर्वे नंबर 497/2 (S) रकबा 5.0500 हैक्टर में से 2.20 हैक्टर एवं सर्वे नम्बर 498 रकबा 10.460 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर कुल 2.76 हैक्टर क्षेत्र में भू जल संरक्षण कार्य हेतु उक्त भूमि प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।



हस्ताक्षर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा



हस्ताक्षर
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल नीमच



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

- | | | |
|-----|---------------|--------------------------|
| (1) | योजना का नाम | :- कालिया खो जलाशय योजना |
| (2) | क्षेत्रफल | :- 2.76 हैक्टर |
| (3) | बीट का नाम | :- कुकडेश्वर |
| (4) | वन परिक्षेत्र | :- रामपुरा |
| (5) | वनमण्डल | :- नीमच |
| (6) | योजना अवधि | :- 2025-26 से 2035-36 |

योजना की लागत :- 2539532 /-

सामान्य वनमण्डल नीमच

सर्वे नं. 497/2 (S), 498
क्षेत्र तैयारी योजना का (प्रथम वर्ष) 2025-26

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 1- वनमंडल का नाम | - नीमच (साठ) | 7- वन सुस्था समिति | - हामालेडी |
| 2- परिक्षेत्र का नाम | - रामपुरा | 8- बीट | - कुकडेवर |
| 3- मेसजिंग | - सर्वे नं 497/2 (S), 498 | 9- प.स. वृत्त | - कुकडेवर |
| 4- कुल रकबा | - 2.76 हेक्टर | 10- जिला | - नीमच |
| 5- विधानसभा | - मनासा | 11- विकासखंड | - मनासा |
| 6- सीमांकन क्षेत्र | - 2.76 हेक्टर | 12- दर मा.दि. 481 | |

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा 2.76 हेक्टर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	2.76	ha	0.45	प्रति हे०	1.24	597.40
2	ट्रीटमेंट लाइन का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टर.	2.76	ha	1.00	-	2.76	1327.56
3	बीज संग्रहण कार्य	230	कि.ग्रा.	200.00	बाजार दर	95.63	46000.00
4	पशु अवरोधक खांती सीमांकन सहित खुदाई कार्य कठोर मिट्टी/मुरम (1.50X0.90X0.75M)	740	र.मी.	0.60	प्रति र.मी.	444.00	213564.00
5	कंदूर ट्रेच विन्यास	150	प्रति ट्रेच	0.0015	प्रति ट्रेच	0.23	108.23
6	कंदूर ट्रेच खुदाई कठोर मिट्टी/मुरम	150	प्रति ट्रेच	0.33	प्रति ट्रेच	49.50	23809.50
7	कंदूर पर बीज बुआई	150	प्रति र.मी.	0.0025	प्रति र.मी.	0.38	180.38
8	घांस/जलाऊ प्रजाति रोपण हेतु वेड निर्माण (10X1 मीटर वेड में 15 रो.मी. गहराई)	80	प्रति वेड	0.4	प्रति वेड	32.00	15392.00
9	घांस वेड में घांस बीज बुआई कार्य	80	प्रति र.मी.	0.07	प्रति र.मी.	5.60	2693.60
10	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)					50.00	24050.00
कुल योग						681.34	327722.66

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

योजना का द्वितीय वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 510)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	month	1X12	26	month	312.00	159120.00
योग:-					312.00	159120.00

योजना का तृतीय वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 541)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	month	1X12	26	month	312.00	168792.00
2	खंती भरम्मत कार्य	350	र.मी.	0.60	प्रति र.मी.	210.00	113610.00
योग:-					522.00	282402.00	

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 573)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	178776.00
योग:-					312.00	178776.00	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

योजना का प्रथम वर्ष 2020-30 (दर मा.दि. 600)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	189696.00
	योग-					312.00	189696.00

योजना का द्वितीय वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 644)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	200928.00
	योग-					312.00	200928.00

योजना का तृतीय वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 683)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	213096.00
	योग-					312.00	213096.00

योजना का चतुर्थ वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 724)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	225888.00
	योग-					312.00	225888.00

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रायपुरा

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

योजना का नवम वर्ष 2033-34 (दर मा.दि. 767)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	239304.00
	योग:-					312.00	239304.00

योजना का दशम वर्ष 2034-35 (दर मा.दि. 813)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	253656.00
	योग:-					312.00	253656.00

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035-36 (दर मा.दि. 862)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	month	1X12	26	month	312.00	268944.00
	योग:-					312.00	268944.00

गोश्वारा 2.76 हेक्टर

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि
प्रथम 2025-26	681.34	327722.66
द्वितीय 2026-27	312.00	159120.00
तृतीय 2027-28	522.00	282402.00
चतुर्थ 2028-29	312.00	178776.00
पंचम 2029-30	312.00	189696.00
षष्ठम 2030-31	312.00	200928.00
सप्तम 2031-32	312.00	213096.00
अष्टम 2032-33	312.00	225888.00
नवम 2033-34	312.00	239304.00
दशम 2034-35	312.00	253656.00
ग्यारवा 2035-36	312.00	268944.00
कुल योग	4011.34	2539532.66

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

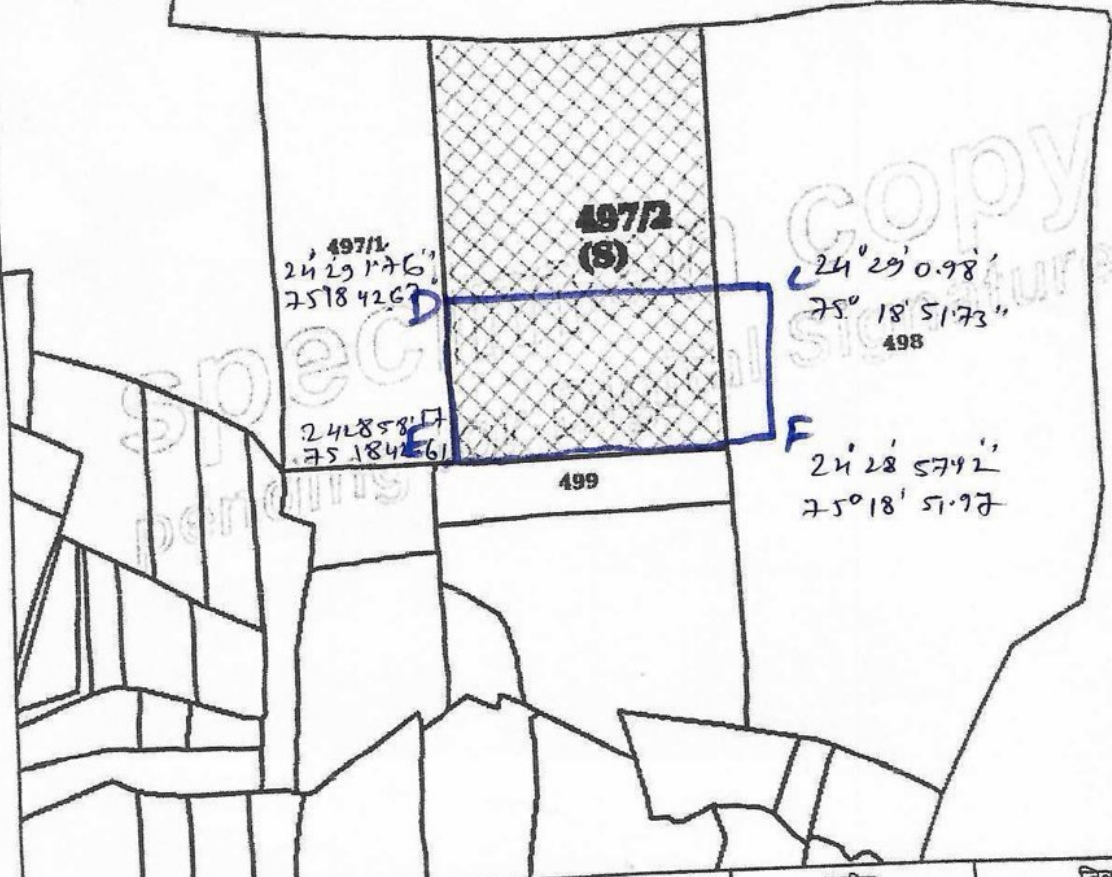
नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2023-24

दिनांक: 16-10-2023 16:17:11



लेजेंड -
D → कालियारण जलाशय योजना (रकबा 2.76 हेक्टर)
E →



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	दाता	दाता	मनासा	नीमच
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
497/2(S)	5.0500 (हेक्टर)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

वन मण्डल अधिकारी

उप वन मण्डल अधिकारी (हस्ताक्षर)

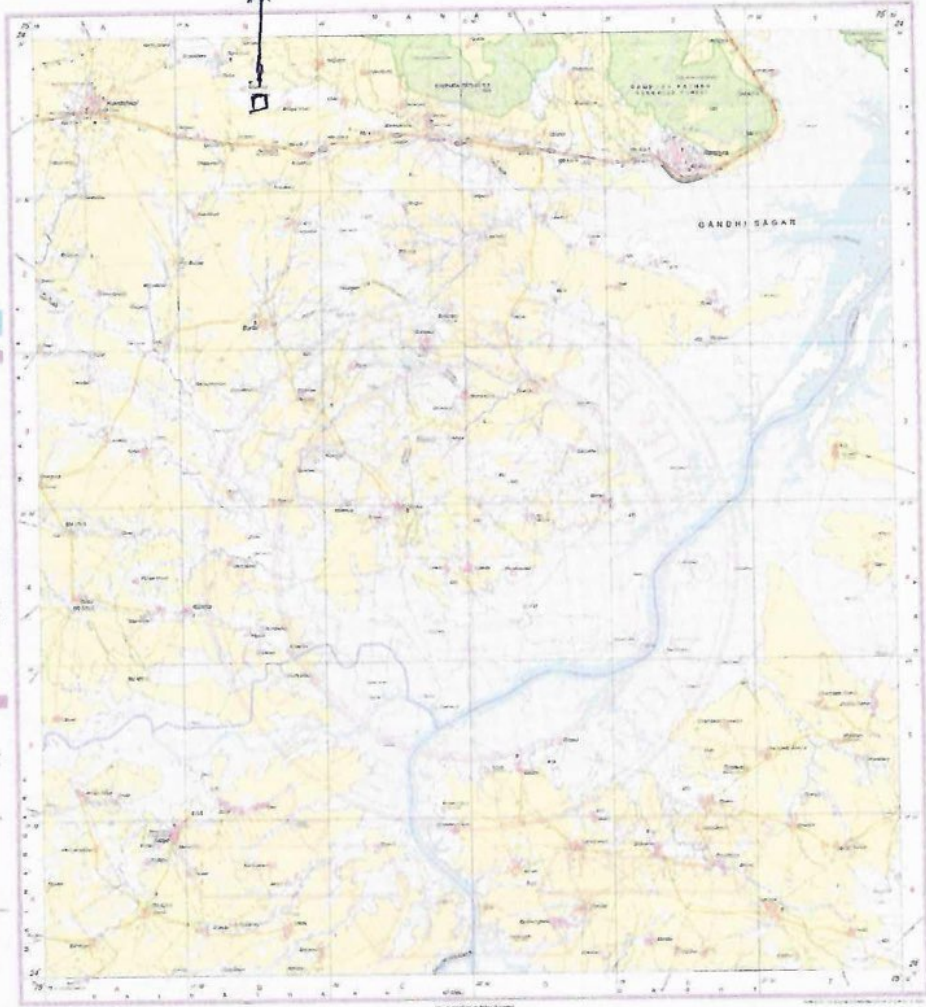
- नोट -
- यह प्रत्येक केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 - हस्ताक्षर उपरोक्त किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

शान्त
24 अक्टूबर 2023
नमो

TJ
R. K. Singh



कालिदासो जलाशय योजना (क्षेत्र 2.76 हेक्टर)



निष्कर्ष

□ → कालिदासो जलाशय योजना (क्षेत्र 2.76 हेक्टर)

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल वनाया

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

R. P. R. R.

Danta

your map.

अमलगाव गावा समुद्रसपाटी पे

$24^{\circ}29'11.76''$
 $75^{\circ}18'42.67''$

$24^{\circ}29'10.98''$
 $75^{\circ}18'51.73''$

Area 2.76 hac.

$24^{\circ}28'58.17''$
 $75^{\circ}18'42.61''$

$24^{\circ}28'57.92''$
 $75^{\circ}18'51.89''$

TSE

Rfo Bhatnagar

10/10/2019

Dr. S. S. S. S.

Dr. S. S. S. S.

Dr. S. S. S. S.

900 ft

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/38

उज्जैन, दिनांक 30/07/2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं./तकनीकी/2024/3906 दिनांक 24-06-2024 एवं पत्र क्रं. 4590 दिनांक 25-07-2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार नीमच जिले के अन्तर्गत कालिया खो जलाशय योजना निर्माण हेतु परिक्षेत्र रामपुरा के वनखण्ड मेनपिछोर कक्ष क्रं. 411 मे प्रभावित वनभूमि रकबा 22.26 हे. के एवज मे कलेक्टर जिला नीमच द्वारा उनके आदेश क्रं. 16/अ-20(3)/2020-2021 दिनांक 05.11.2020 से प्राप्त ग्राम हांसपुर मे रकबा 20.00 हे. एवं 16/अ-20(3)/2022-2023 दिनांक 10.05.2023 से ग्राम दांता मे रकबा 2.76 हे. इस प्रकार कुल आवंटित रकबा 22.76 हे. आवंटित की है।

वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि 20.00 हे. मे 5000 पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। शेष 2.76 हे. क्षेत्र पथरीला एवं पहाड़ीनुमा होने से 1000 पौधा प्रति हे. रोपण संभव नहीं होने के कारण कुल शेष क्षेत्र $15.00 + 2.76 = 17.76$ हे. के दुगने बिगड़े वनक्षेत्र रकबा 36.00 हे. हेतु परिक्षेत्र मनासा की बीट श्योपुरिया के कक्ष क्रं. 320 मे वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि रु. 12434119/- की 11 वर्षीय योजनाएं निम्नानुसार तैयार कर तकनीकी अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	आवंटित रकबा	वैकल्पिक वृक्षारोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	मनासा	मनासा	हांसपुर	718/1/1, 718/2, 1024/2	20.00	20.00	5000	6745000
2	मनासा	मनासा	दांता	497/2, 498	2.76	-	-	2539533
3	मनासा	-	बीट श्योपुरिया	320	-	36.00	36000	12434119

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल नीमच द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी नीमच द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नामर्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रं./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) परियोजना में आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।
- 25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)

भा.व.से.

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 30/07/2024

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 3756

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्रं./तकनीकी/2024/4590 दिनांक 25-07-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

भाग-2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा निरीक्षण दिनांक 02/02/24 को किया गया है एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 02/02/24 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण एवं भुजल संरक्षण कार्यो के योग्य है। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


~~उपवनमण्डलाधिकारी~~
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

अनुमोदित

तकनिकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 38 दिनांक 30-7-24 द्वारा जारी कह गई।

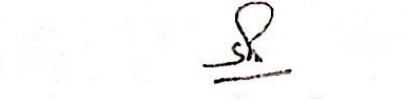

वनसंरक्षक

भाग-2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा निरीक्षण दिनांक 03/02/2024 को किया गया है एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा द्वारा दिनांक 03/02/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण के योग्य है। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

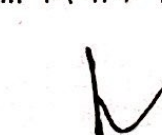

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मनासा


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

अनुमोदित

तकनिकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 38 दिनांक 30-7-24 द्वारा जारी कह गई।


वनसंरक्षक

भाग -2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20/01/24 को किया गया है उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.24 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य हैं। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र रामपुरा

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनासा

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 38 दिनांक 30-7-24 द्वारा जारी की गयी।

वनसंरक्षक